चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 4760
दिनांक :– 19-12-2022

सेवा में,

01. सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. विभागाध्यक्ष / निर्देशक / समन्वयक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः– भारत सरकार द्वारा दिव्यागंजन अधिकारी अधिनियम, 2016 की अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 उक्त अधिनियम की धारा–44 एवं 45 के अन्तर्गत राज्य के भवनों को दिव्यांजन हितैषी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–04, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 15.12.2022 एवं उसके साथ संलग्न विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 09.11.2022 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जो कि भारत सरकार द्वारा दिव्यागंजन अधिकारी अधिनियम, 2016 की अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 उक्त अधिनियम की धारा–44 एवं 45 के अन्तर्गत राज्य के भवनों को दिव्यांजन हितैषी बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर मांगी गयी सूचना दिनांक 20.12.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उत्तर प्रदेश शासन को समयान्र्गत अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

19-12-2022

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

I/232917/2022
संख्या 1561 /VIP/PSHED/7/2022
प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 21-11-22

JS(SKS)/HG-3

अनुस्मारक-2
महत्त्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

अजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

21-11-22
(डॉ० सुधीर एम० बोबड़े)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, श्रम विभाग, समन्वय विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, युवा कल्याण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को छोड़कर)

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2022

विषयः राज्य सरकार के भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-74/2022/195783/2022/File No.65-2013/2/2019-2 दिनांक 28.07.2022 एवं अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के अनुस्मारक पत्र संख्या-I/205600/2022/File No.65-2013/2/2019-2 दिनांक 26.08.2022, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-44 व 45 तथा उक्त के क्रम में निर्गत शासनादेशों में प्रावधानित प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रकरण में और उनसे संबंधित दिव्यांगजन हितैषी भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं वांछित सूचना से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। अनुरोध है कि कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश दिनांक 28.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-44 व 45 तथा उक्त के क्रम में निर्गत शासनादेशों में प्रावधानित प्रावधानों के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट मांगों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने और भविष्य में होने वाले नवनिर्माणों में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य रखे जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने एवं निर्धारित प्रारूप वांछित सूचना 01 सप्ताह के भीतर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by अजीत कुमार
Date 07-11-2022 16:07:52
Reason: Approved
(अजीत कुमार)
विशेष सचिव।

एस0-3
कृपया पत्रावली प्रस्तुत
23/11/2022

तदसंख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।

श्री अजित

G335 16/12/22

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या–2844/सत्तर–4–2022

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव, समस्त राज्य
विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ :दिनांक 15 दिसम्बर, 2022

विषयः– भारत सरकार द्वारा दिव्यागंजन अधिकारी अधिनियम,2016 की अधिसूचना दिनांक 28.12.2016 उक्त अधिनियम की धारा–44 एवं 45 के अन्तर्गत राज्य सरकार के भवनों को दिव्यागंजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 06.12.2022 के साथ संलग्न दिव्यागंजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 09.11.2022 एवं दिनांक 28.07.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिव्यागंजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के पत्र 28.07.2022 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप में मांगी गयी वांछित सूचना 03 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

AR (Affiliation)

कि राज्य सरकार के पूर्व निर्मित सरकारी भवनों एवं अन्य भवन जो अभी निर्माणाधीन हैं, को अभी दिव्यांगजन हितैषी नहीं बनाया गया है, जिस कारण से दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन नहीं हो पा रहा है। शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-40390/2020/65-2013/2/2019-2, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-5/2021/65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021, शासनादेश संख्या-14/2021/आई/48603/2021/65-2013/2/2019-2, दिनांक 02.02.2021, शासनदेश संख्या-आई/72786/2021/65-2013/2/2019-2, दिनांक 22.06.2021 व शासनादेश संख्या-आई/144901/2022/65-2013/2/2019-2, दिनांक 04.03.2022 निर्गत किये गये हैं।

3. यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित बनाये जाने के लिये Harmonized Guidelines and Space Standards for Barrier Free Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons,2016" निर्गत किया गया है उसके स्थान पर अब भारत सरकार द्वारा नयी गाइडलाईन "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" निर्गत किया गया है, जिसमें भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के बारे में विस्तार से निर्देश उपलब्ध हैं। उक्त गाइडलाईन CPWD व NIUA website (cpwd.gov.in and niua.org) पर उपलब्ध है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018, 18 दिसम्बर, 2020, 15 जनवरी, 2021, 02 फरवरी, 2021, 22 जून, 2021 व 04 मार्च, 2022 में दिये गये प्राविधानों के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने और भविष्य में होने वाले नवनिर्माणों में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य रखे जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें। इसके साथ ही जो भवन दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बना लिये गये हैं और जो अभी तक दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित नहीं बनाये जा सके हैं, उसके संबंध में संलग्न प्रारूप पर सूचना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को दिनांक 12.08.2022 तक उपलब्ध कराने एवं उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2022

विषयः राज्य सरकार के भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-49/2016" की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 निर्गत की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-44 एवं 45 के अन्तर्गत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्थायें दी गयी हैं:-

धारा-44 (1) No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.

(2) No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

धारा-45 (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

2. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने के लिये विभागीय स्रोतों से समुचित बजट प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने एवं भविष्य में जब भी किसी शासकीय भवन का नवनिर्माण कराया जाये, तो उसमें दिव्यांगजन हितैषी प्राविधान समावेशित हो, कि व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-1936/65-2-2018-41(विविध)/2018 दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं। यह संज्ञान में आया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

प्रदेश के सरकारी/गैर सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

विभाग का नामः-

दिनांकः-

विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जा चुका है।	विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जाना अवशेष है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।